UGC CARE LISTED
ISSN 2229-3388

अनुसन्धानवल्लरी

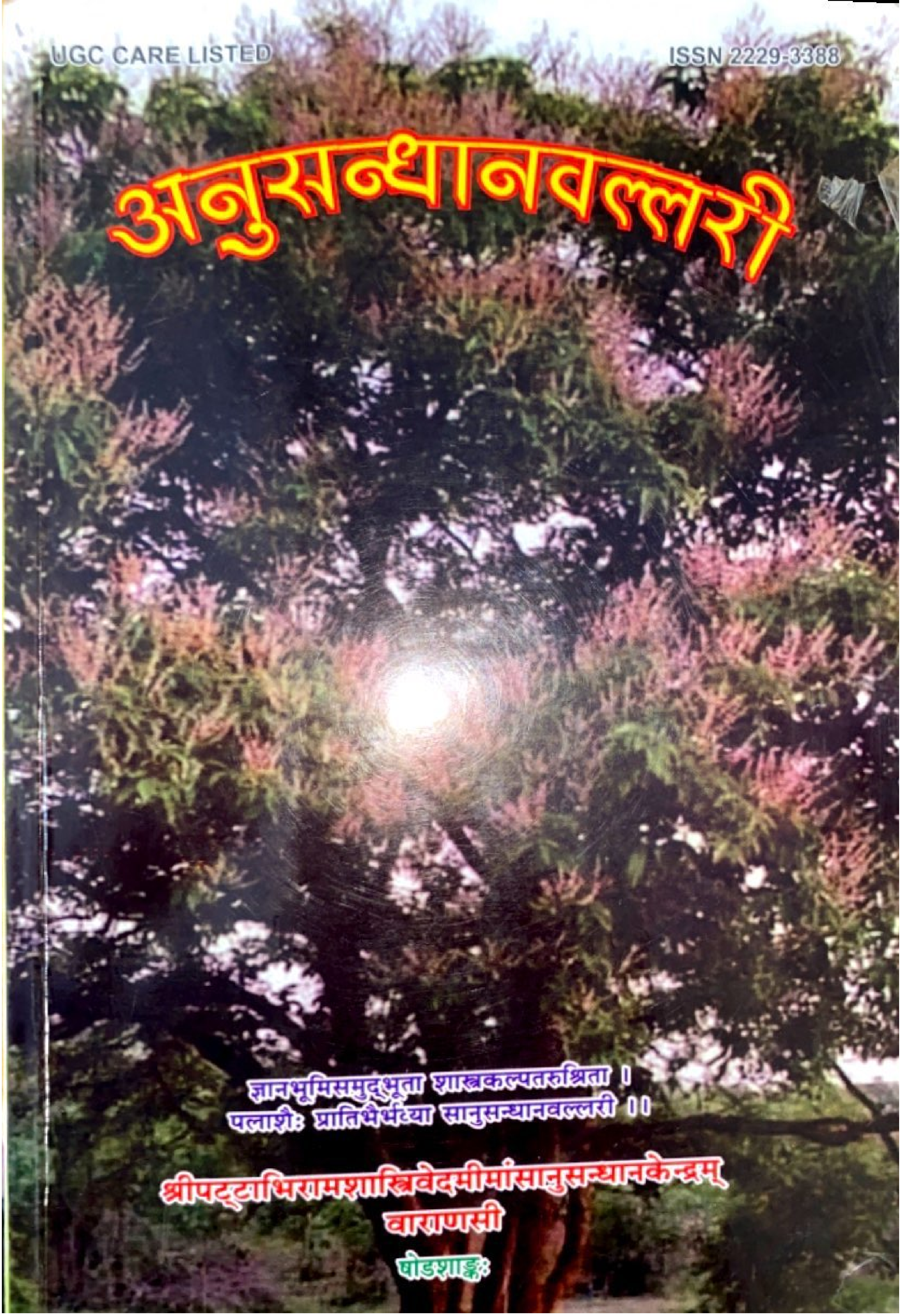

ज्ञानभूमिसमुद्भूता शास्त्रकल्पतरुश्रिता ।
पलाशैः प्रातिभैर्भव्या सानुसन्धानवल्लरी ॥

श्रीपट्टाभिरामशास्त्रिवेदमीमांसानुसन्धानकेन्द्रम्
वाराणसी

षोडशाङ्कः

Scanned with CamScanner

अनुसन्धानवल्लरी

(मूल्याङ्कित-शोधपत्रिका)

Anusandhanvallari

(Refereed and Peer-reviewed Research Journal)

ISSN : 2229-3388

UGC CARE Listed

❒

प्रकाशक:

श्रीपट्टाभिरामशास्त्रिवेदमीमांसानुसन्धानकेन्द्रम्

बी. ४/७-ए, हनुमानघाट, वाराणसी-२२१००१

e-mail : psvmkendra@gmail.com

❒

षोडशाङ्कः (आचार्यगगनकुमारचट्टोपाध्याय-स्मृत्यर्पिताङ्कः)

प्रकाशनवर्षम् : वि.सं. २०७९ (२०२२ ई.)

मूल्यम् : द्विशतं रूप्यकाणि

❒

निर्णायकमण्डलम्

प्रो.सन्निधानं सुदर्शनशर्मा

पूर्वकुलपति: श्रीवेङ्कटेश्वरवेदविश्वविद्यालयस्य, तिरुपति:।

प्रो.युगलकिशोरमिश्रः

पूर्वकुलपति: जगद्गुरुरामानन्दाचार्यराजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य, जयपुरम्।

प्रो.दीपककुमारशर्मा

पूर्वकुलपति: कुमारभास्करवर्मा-संस्कृतप्राच्यविद्याविश्वविद्यालयस्य, नलबाडी (असम)।

प्रो.भीमसिंहः

प्राक्तनसङ्कायप्रमुख: संस्कृतविभागाध्यक्षश्च कुरुक्षेत्रविश्वविद्यालयस्य, कुरुक्षेत्रम्।

प्रो.देवेन्द्रनाथपाण्डेयः

पूर्वसङ्कायाध्यक्ष: श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य, वेरावल (गुजरात)।

प्रो.रवीन्द्रनाथभट्टाचार्यः

कलासङ्कायाध्यक्ष: संस्कृतविभागाध्यक्षश्च कलकत्ताविश्वविद्यालयस्य, कोलकाता।

सम्पादकीयसङ्कल्पना

प्रो.चन्द्रकान्ताराय

संस्कृतविभागाध्यक्षा आर्यमहिलास्नातकोत्तरमहाविद्यालयस्य, वाराणसी।

❒

मुद्रक:

श्रीजी प्रिण्टर्स

नाटी इमली, वाराणसी

Scanned with CamScanner

वैदिक वाङ्मय में राजतन्त्र

डॉ. मूल चन्द*

***

वैदिक काल में लोग प्राय: कबीलों में संगठित थे। ऋग्वेद में राजा को अनेक स्थानों पर जन-विशेष का स्वामी बताया गया है। उन्हें किसी क्षेत्र-विशेष का राजा नहीं कहा गया। उत्तर वैदिक काल से ही क्षेत्रीय 'राष्ट्र' की कल्पना का प्रारम्भ हो जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि राजपद दैव्य है क्योंकि राज्याभिषेक के समय किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की भाँति राजा में भी कर्मकाण्डिक प्रक्रिया द्वारा देवत्व का आधान होता था जो परम्परागत रीति से वर्तमान तक भी चलता रहा। जनता समिति में एकत्र होकर राजा को चुनती थी।[१] अथर्ववेद में भी राजा के निर्वाचन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। राजा के कर्त्तव्य से विचलित होने पर उसे सिंहासनच्युत भी किया जा सकता था परन्तु वह पुन: चुना भी जा सकता था। राजा का निर्वाचन उसके जीवनकाल के लिए होता था। कालान्तर में राजपद आनुवंशिक हो गया था। राजकाज में राजा को सभा तथा समिति का परामर्श लेकर चलना पड़ता था।

राजपद की उत्पत्ति

शुक्लयजुर्वेद जो वाजसनेयी संहिता के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, उसमें कहा गया है कि मैं तुझे राक्षसों के वध के लिए घुमा रहा हूँ। अर्थात् नियुक्त करता हूँ।[२] ऋग्वेद के दशमण्डल में ऐसा उल्लेख है कि भयग्रस्त जनता ने भयमुक्त होने के लिए राजपद का निर्माण किया था।[३] इस प्रकार यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि राजपद की उत्पत्ति सर्वप्रथम देवों में हुई तथा कालान्तर में इसी को आधार मानकर राजपद को दैव्य घोषित किया गया था। ऋग्वेद में पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु कहता है कि देवलोग वरुण की शक्ति पर निर्भर हैं किन्तु मैं लोगों का राजा हूँ, मैं इन्द्र एवं वरुण हूँ, मैं विशाल एवं गम्भीर स्वर्ग एवं पृथ्वी हूँ, मैं अदिति का पुत्र हूँ। इस प्रसङ्ग में राजा अपने को वैदिक देवों में सर्वश्रेष्ठ देवों के समान कहता है। अथर्ववेद में उल्लेख आता है, "हे राजन्! तुम्हें सभी लोग चाहें, तुम्हारे हाथों से राज्य न छीना जा सके। तुम इन्द्र के समान इस विश्व में सुस्थिर रहो और तुम

*एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, राजकीय लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय चूरू, राजस्थान (भारत)

 ISSN 2229-3388

Scanned with CamScanner

राज्य धारण किये रहो।"[४] शतपथ ब्राह्मण में वाजपेय यज्ञ में बाण चलाते समय ऐसा कहा गया है कि "राजन्य प्रजापति का वह अकेला है किन्तु बहुतों पर राज्य करता है।"[५] ऋग्वेद में एक स्थान पर राजा कुरुकुत्स को अर्द्धदेव कहा गया है "त आयजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्रं न वृत्रतुरमर्धदेवम्"[६] परन्तु इस प्रकार के प्रसंग अपवाद स्वरूप हैं। तत्कालीन समय में राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, प्रजा व राष्ट्र की समृद्धि लाता था, युद्ध में विजय प्राप्त कर सङ्कट का निवारण करता था। इसलिए राजा को देवत्व से संयुक्त कर दिया गया। परन्तु वैदिक युग में यह पद सर्वथा लौकिक संस्था के रूप में प्रतीत होता है। सम्भवतः इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर राजा में ऊपरिवर्णित गुणों का आधान किया गया होगा। राजा में देवताओं के गुण होने की अपेक्षा की गई होगी।

अनुबन्ध का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार इन्द्र को राजा इसी शर्त पर बनाया गया था कि वह असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं को विजय दिलवायेगा। इन्द्र के नेतृत्व में संगठित होकर ही देवगणों को विजय प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त राजा शपथ लेते समय यह भी स्वीकार करता था अर्थात् अनुबन्ध करता था कि यदि मैं विशः के साथ द्रोह करूँ तो मैं अपने जीवन, अपने सुकृत और अपनी सन्तान से वंचित कर दिया जाऊँ। इस प्रकार की स्वीकारोक्ति लेने के बाद ही अभिषेक किया जाता था।[७] वर्तमान में ऐसी शपथ का प्रावधान नहीं है।

राज्य का स्वरूप

वैदिक वाङ्मय में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनमें वैदिक राज्य का स्वरूप प्रजातांत्रिक प्रतीत होता है। जहाँ एक ओर अनेक मन्त्र हैं, जिनसे राजा के वरण अथवा चुनाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति झलकती है यथा–"हे राजन! तू लोभ, भय और स्वार्थ के कारण न डिगता हुआ स्थिर होकर राजसिंहासन पर विराज हो, तुम इसी राजसिंहासन पर बैठकर अपने राष्ट्र को धारण कर।"[८] एतरेय ब्राह्मण ८.७ में ऐसे मन्त्रों का विधान है जिनके द्वारा एक, दो तथा तीन पीढ़ियों के लिए राजपद प्राप्त किया जा सकता था। अथर्ववेद में एक राजा के जीवन के दसवें दशक तक शासन करने का उल्लेख है। इस प्रकार दशमीमुग्र सुमना वशेह। इत्यादि सन्दर्भों से लगता है कि राजा का चुनाव जीवनभर के लिए होता था।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार राजा को सम्राट्, भोज, स्वराट्, वैराज्य (प्रभुत्व), विराट्, राजा, प्रजापति इत्यादि उपाधियों से नवाजा गया है। पूर्व दिशा में राजा को

Scanned with CamScanner

सम्राट् कहा जाता था, दक्षिण दिशा में राजा को भोज कहा जाता था, पश्चिम दिशा में स्वराट् कहा जाता था।

राजा की योग्यता

ऋग्वेद में इस सन्दर्भ में कहा कि जो धार्मिक, सत्पुरुष, विद्वान्, मन्त्रिजनों को अच्छे प्रकार से रखने वाला, प्रजाजनों की पालना करने वाला, सत्याचारी, बलवान्, सज्जनों का संग करने वाला है, वह राज्य को प्राप्त होता है।[९] यजुर्वेद में भी कहा गया–हे मनुष्यों! जैसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार निवृत्त होकर प्रकाश के होने से सब लोग आनन्दित होते हैं, वैसे ही धर्मात्मा राजा के होते हुए प्रजाओं में सब प्रकार से स्वस्थता होती है।[१०]

वैदिक काल में राजतन्त्र

वैदिक काल में कुछ विद्वानों के अनुसार गणतन्त्रात्मक पद्धति थी, जिसमें कुलीन परिवार एक मुखिया के निर्देशन में राजकार्य एवम् अन्य कार्य करते थे। जैसे परवर्ती काल में लिच्छवियों की शासनपद्धति। जहाँ तक भोज प्रकार की शासन प्रणाली का प्रश्न है, तो यह भी कुछ गणतन्त्रात्मक थी। श्रीकृष्ण ऐसे सङ्घ के प्रमुख थे जो अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोजों को मिलाकर बना था। ऋग्वेद में एक स्थान पर राजाओं को एक सभा में एकत्रित होते बताया गया है। (यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताविव) तथा शतपथ ब्राह्मण (IX ३.२.५) में भी उल्लेख है कि केवल वही व्यक्ति राजा बन सकता है जिसे अन्य राजाओं से अनुमति प्राप्त हो। सम्भवतः वैदिक काल में कुछ क्षेत्रों में कुलीन तन्त्र अस्तित्व में थे। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में सभी व्यक्ति विशः कहलाते थे तथा शतपथ ब्राह्मण के साक्ष्यानुसार अभिषेक होने पर राजा महान् बन जाता है। ऐसा भी विश्वास है कि अभिषेक के समय उसके शरीर में देवताओं का प्रवेश हो जाता है। अथर्ववेद में भी कुछ ऐसे सन्दर्भ मिलते हैं जिनसे इस बात का ज्ञान होता है कि कभी-कभी राजा को सिंहासनच्युत करके राज्य से निष्कासित किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कभी-कभी निर्वासित राजा को पुनः शासक चुन लिया जाता था। वर्तमान में भी यह परम्परा प्रचलित है। दैनिक भास्कर सीकर संस्करण के दिनांक १४.०७.२०२१ के अनुसार नेपाल के शेर बहादुर देउबा पाँचवीं बार बने नेपाल के पी एम। अर्थात् सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन्हें बहाल करते हुए पुनः पी.एम. पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी गयी। तत्कालीन समय में भी जनसाधारण को राजा को निर्वासित करके दण्डित करने का अधिकार प्राप्त था।

Scanned with CamScanner

सभा व समिति

वैदिक काल में राजा के ऊपर नियन्त्रण रखने में सभा व समिति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा होगा। विद्वान् लुडविग का मत है कि समिति में भी सभी व्यक्ति (विश) सम्मिलित थे जबकि सभा में केवल सभी ब्राह्मण व मघवन् (धर्मसंरक्षक) होते थे। वर्तमान में प्रधानमन्त्री व मुख्यमन्त्री अर्थात् भारत सरकार व राज्य सरकारों पर प्रत्यक्षतः किसी का नियन्त्रण नहीं है परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ही नियन्त्रण रखते हैं। वर्तमान में संसद के दो सदन हैं–लोकसभा व राज्यसभा, परन्तु इनमें सांसद ही प्रतिनिधित्व करते हैं। राजा पर नियन्त्रण यदि हो तो बहुमत के अनुसार अवश्य हो सकता है। विपक्ष में यदि अधिक सांसद हैं, तो कभी-कभी कोई कानून बनने से अवश्य रुक सकता है परन्तु राजा पर वर्तमान में कोर्ट के अलावा किसी का नियन्त्रण दिखाई नहीं देता। कोर्ट भी कभी-कभी स्वतः संज्ञान लेकर मन्त्री, मुख्यमन्त्री को अपने-अपने दायित्व याद दिलाते रहते हैं। जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन व वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रधानमन्त्री को उनके दायित्व का स्मरण कराया।

ऋग्वेद के अनुसार सभेय (सभा का सदस्य) होना आदर की बात थी। अथर्ववेद में भी विशः व समिति को राजा का चुनाव करते हुए बताया गया है। समिति के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यों में राजा का चुनाव करना होता था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि समिति में राजकीय विषयों की चर्चा होती थी तथा सहमति के आधार पर निर्णय लिये जाते थे। वर्तमान में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् से ज्ञात होता है कि समिति में राजनीति के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी चर्चा होती थी। इस ग्रन्थ के अनुसार २४ वर्ष की अवस्था में श्वेतकेतु ने दावा किया कि उसे धर्म-दर्शन का पूर्ण ज्ञान हो गया है। समिति के प्रमुख को पति अथवा ईशान भी कहा जाता था। वर्तमान में राज्यों में विधानसभा के सदस्यों को विधायक तथा लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह समिति में जाए क्योंकि ऋग्वेद के अनुसार निष्ठावान् राजा के लिए समिति में उपस्थित होना आवश्यक था। छान्दोग्य उपनिषद् में भी श्वेतकेतु की घटना के सन्दर्भ में राजा प्रवाहण जैबालि को पांचाल समिति में उपस्थित दिखाया गया था। अतः यह प्रथा ऋग्वेदकाल से लेकर कम से कम उपनिषत्काल तक अवश्य रही होगी। यद्यपि यह हो सकता है कि इस बीच समिति के स्वरूप, कार्य एवम् अधिकारक्षेत्र में कुछ परिवर्तन आया हो। सभा व समिति को प्रजापति ब्रह्मा की पुत्रियाँ बताया गया है। सभा के निर्णय

Scanned with CamScanner

सभी के लिए मान्य होते थे। इसका प्रमुख सभापति कहलाता था, सदस्यों को सभासद कहा जाता था। मैत्रायणी संहिता के अनुसार स्त्रियाँ सभा में उपस्थित नहीं होती थीं। वर्तमान में महिलाओं के लिये राज्यों की विधानसभा व संसद में ३३ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है तथा कई राज्यों की मुख्यमन्त्री तथा भारत की प्रधानमन्त्री भी महिलाएँ रह चुकी हैं। वर्तमान में सभी के लिए बराबर व्यवस्था है। वैदिक वाङ्मय में सभा का उल्लेख विभिन्न सन्दर्भों में सभाकक्ष, भवन, द्यूतकक्ष तथा राजकीय सभा के अर्थ में भी हुआ है। ऋग्वेद में सभा व समिति के अतिरिक्त 'विदथ' नामक संस्था का उल्लेख भी प्राप्त होता है। विद्वानों का मत है कि विदथ मूलतः बड़ी जनसभा रही होगी जो परवर्ती काल में किन्हीं कारणों से सभा, समिति व सेना में बँट गई हागी। ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख सभा व समिति से अधिक बार हुआ है। अथर्ववेद में भी अनेक बार इसका उल्लेख है किन्तु उत्तर वैदिककाल में विदथ के नाम का उल्लेख कम होता गया तथा सभा व समिति का उल्लेख बढ़ता गया। इससे ज्ञात होता है कि एक संस्था के रूप में विदथ ऋग्वैदिक काल में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी, किन्तु परवर्ती संहिताओं के काल में सभा व समिति का महत्त्व बढ़ने लगा।

राजा के कर्त्तव्य

ऋग्वैदिक युग में राजा के प्रमुख कर्त्तव्य थे—राष्ट्र की सेवा अर्थात् प्रजा-पालन, प्रजारक्षण। राजा के प्रमुख कर्त्तव्यों में था प्रजा को अभय प्रदान करना। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि भयभीत जनता ने भयमुक्त होने के लिए ही राजपद का निर्माण कर अपने मध्य में राजा का वरण किया था।[११] यजुर्वेद में राजा के कर्त्तव्य के सन्दर्भ में कहा गया है कि ईश्वर उपदेश करता है कि राजा को चाहिए कि वह प्रजा, सेना आदि से सदा सत्य-प्रिय वचन कहे। उनको धन दे, उनसे धन (कर) ले। शरीर और आत्मा का बल बढ़ाये तथा शत्रुओं को जीत कर धर्म से प्रजा को नित्य पाले, सेवा करे।[१२]

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यदि प्रजा में किसी प्रकार के दोष का उदय होता था तो उसके लिए राजा स्वयं ही पूर्णतः उत्तरदायी समझा जाता था। वर्तमान में प्रायः सभी दल अपना-अपना मतप्रतिशत बढ़ाने के चक्कर में लगे हुये हैं तथा दूसरे दलों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तत्कालीन समय में राज्य की सीमा में कहीं भी चोरी, दुराचार तथा अन्य किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती थी तो उन सभी घटनाओं के लिए राजा ही पूर्ण उत्तरदायी होता था। राजा के राज्याभिषेक के समय ही शपथ दिलाई जाती थी, "यदि मैं प्रजा से द्रोह करूँ तो

Scanned with CamScanner

अपने जीवन, अपने पुण्यफल और अपनी सन्तान आदि सभी से वंचित हो जाऊँ।"[१३] इसके अतिरिक्त राजा का कर्त्तव्य था कि वह अपने राज्य में कृषि का विकास करे। प्रजा की समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। कृषि के लिए सिंचाई के साधनों की आवश्यकता का उत्तरदायित्व राज्य तथा राजा का था। कृषिकार्य के लिए सिंचाई के साधनों, कूओं, नहरों, नालियों आदि की व्यवस्था करना राजा का कर्तव्य होता था।[१४] वर्तमान में भी कमोबेश ये व्यवस्थाएँ होती रहती हैं यथा अभी प्रधानमन्त्री द्वारा डी.ए.पी. पर अनुग्रहराशि दी गई है। दिनांक १७.०७.२०२१ के दैनिक भास्कर, सीकर संस्करण में राजस्थानसरकार का विज्ञापन छपा कि किसानों को अब विद्युत्-व्यय प्रतिमाह १००० रुपये या १२००० रुपये एक वर्ष में अधिकतम ही देने पड़ेंगे। अर्थात् समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस सुविधा के लाभार्थी होंगे। इस योजना को नाम दिया गया "मुख्यमन्त्री किसान मित्र ऊर्जा योजना"। इस प्रकार राजस्थानसरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया गया। हरियाणा सरकार ने किसानों के बिजली के बिल पहले से ही माफ कर रखे हैं।

यद्यपि सरकारें किसानों को खुश करने में लगी हुई हैं, तथापि पिछले १०-११ महीनों से किसान आन्दोलन चल रहा है, जो कहीं न कहीं किसानों के असन्तोष का ही परिणाम है। अथर्ववेद के अनुसार राज्य में जब कृषि और सिंचाई के साधन समुन्नत होंगे तो राष्ट्र खुशहाल होगा और प्रजा कृषि के अभाव में चोरी, डकैती तथा लूटमार आदि नहीं करेगी तथा भौतिक सुख-समृद्धि के लिए प्रयास करेगी। अथर्ववेद के मन्त्र में आयु, प्राण, प्रजा, पशु, यश, धन तथा ब्रह्मतेज के लिए प्रार्थना की गई है।[१५]

राजा का चुनाव अपने ही राष्ट्र से

अथर्ववेद में कहा गया है कि मैं राजा राष्ट्र का अपना व्यक्ति हूँ, मैं अपने को अवश्य उत्तम बनाऊँगा। अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमम्।[१६] इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि त्वां विशो वृणता अर्थात् प्रजाएँ आपको राजकार्य करने के लिए वरण करें[१७] तथा सारी प्रजाएँ तुझे चाहें। विश्वत्वा सर्वा वांछन्तु[१८] शुक्ल यजुर्वेद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी ही जनता के किसी योग्य व गुणी व्यक्ति का राजा के रूप में वरण किया जाता था।[१९]

राजा का कार्यकाल

अथर्ववेद में कहा है, "राजन्! ये सब देवता एकमत होकर आपके राष्ट्रप्रवेश के लिए आह्वान करें। उनके आह्वान करने पर आप प्रचण्ड बलवाले और मन में

Scanned with CamScanner

सन्तुष्ट होकर नब्बे वर्ष से आगे आने वाली सौ वर्ष की अवस्थापर्यन्त राज्य में रहिए, निष्कण्टक रीति से राज्य भोगिए।[२०] वर्तमान में विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल ०५ वर्ष का है तथा राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल ०६ वर्ष का है परन्तु प्रधानमन्त्री (राजा) का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए ही होता है।

वैदिक काल के शासनतन्त्र के प्रमुख पदाधिकारियों का परिचय

पुरोहित—वैदिक शासन-व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी पुरोहित था। विद्वानों के अनुसार परवर्ती काल में यही ब्राह्मण मन्त्री बना। यह राजा के लिए विविध अनुष्ठान करता था, उसे मन्त्रणा प्रदान करता था। युद्ध के समय भी यह राजा के साथ रहता था। पुरोहित राजा की विजय हेतु कामना करता था। पुरोहित वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य इत्यादि नामों से वैदिक इतिहास में प्रसिद्ध है। पुरोहित की उपाधि उसे काठक संहिता और शतपथ ब्राह्मण से मिली। वह ब्राह्मण जिसके घर जाकर राजा को प्रधान देवपुरोहित बृहस्पति को हवि अर्पित करनी है, यह नवगठित पुरोहितवर्ग का द्योतक है। सम्भवतः ब्राह्मणों ने पटुता द्वारा विजेता की कृपा प्राप्त की, जिन्होंने अपनी सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। राजा और उसके कुल की मन्त्रों एवम् आध्यात्मिक शक्ति द्वारा रक्षा करने के अलावा भी पुरोहित के अनेकानेक कार्य थे। यथा–युद्धभूमि में राजा के साथ जाकर राजा को वर्म (कवच) प्रदान करना मुख्य कार्य था।[२१] 'धन्वना गा' के मन्त्र के साथ राजा को धनुष प्रदान करना एवं विजय का पाठ राजा से करवाना, स्वयं मन्त्र पढ़ना, राजा को तुणीर देना, संग्रामदिशा की ओर रथ चलने पर मन्त्र पढ़ना, सारथी एवं घोड़ों के लिए मन्त्रोच्चारण करना, राजा की रक्षा की प्रार्थना करना इत्यादि उसके कार्य होते थे।[२२]

सेनानी—ऋग्वेद में सेनानी नामक अधिकारी का उल्लेख प्राप्त होता है। यह सेना का प्रमुख रहा होगा। जब युद्ध में राजा स्वयं सेना का नेतृत्व नहीं करता था तब सेना का नेतृत्व सेनानी को प्रधान सेनापति के रूप में करना होता था।

ग्रामणी—ऋग्वैदिक व्यवस्था में ग्राम का शासन ग्राम के मुखिया के निर्देश और निरीक्षण में चलता था। ऋग्वेद में इसे ग्रामणी कहा गया है, वहीं उसे प्रभूत धन देने वाला और मनु कहा गया है। सहस्रदा ग्रामणीर्मा रिषन्मनुः सूर्येणास्य यत मानैतु दक्षिणा।[२३] इससे इसके पद का महत्त्व ज्ञात होता है। इसी मन्त्र की व्याख्या में सायण ने उसे जनपद में रहने वाला भी कहा है यद्यपि वैदिक काल से ही ग्रामणी ग्रामसेना का नायकत्व करता था। सम्भवतः वह क्षत्रिय ही था। मैत्रायणी और काठक संहिता में उल्लिखित 'वैश्य ग्रामणी' शब्द से प्रतीत होता है कि वैश्य भी

Scanned with CamScanner

ग्रामणी पद के इच्छुक रहे होंगे तथापि तैत्तिरीय संहिता के एक उल्लेख से ज्ञात होता है कि हर महत्त्वाकांक्षी वैश्य का लक्ष्य ग्रामणी का पद प्राप्त करना था।[२४]

दूत—ऋग्वेद में दूत का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सम्भवत: इनके माध्यम से विभिन्न राजनैतिक इकाइयाँ एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करती थीं।

रत्निन्—कृष्णयजुर्वेद की संहिताओं में राजसूय यज्ञ के रत्न हविष्य अनुष्ठान के सन्दर्भ में वैदिक युग के कुछ अधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है इन्हें रत्निन् कहा गया है जिनके घरों में जाकर विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अनुष्ठान किया जाता था। रत्निन् की सूची में निम्नलिखित अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, यथा–१. पुरोहित, २. सेनानी, ३. राजन्य, ४. महिषी, ५. सूत (राजा का सारथी), ६. ग्रामणी, ७. क्षत्रि (प्रतिहार), ८. संग्रहीतृ (कोषाध्यक्ष), ९. भागदुघ (कर एकत्रित करने से सम्बन्धित अधिकारी), १०. अक्षवाप (द्यूत अधिकारी/लेखाधिकारी), ११. गोविकर्तृ (वन का अधिकारी), १२. पालागल। मैत्रायणी संहिता में तक्ष, बढ़ई व रथकार का उल्लेख भी रत्निन् के रूप में प्राप्त होता है।[२५] रत्निन् में सभी वर्णों का प्रतिनिधित्व मिलता है। पुरोहित ब्राह्मण वर्ण का प्रतिनिधि था, राजन्य क्षत्रिय वर्ण का, ग्रामणी वैश्य वर्ण का तथा तक्ष व रथकार शूद्र वर्ण के प्रतिनिधि थे।

निष्कर्ष

वैदिक वाङ्मय के अनुसार वैदिक समाज परिवार, विश: तथा जन में विभाजित था। विभिन्न ग्रामों का समूह विश रहा होगा, जिसका प्रमुख विशपति बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार युद्धक्षेत्र में सेना का संयोजन विश के आधार पर किया जाता था। अनेक विशों का समूह जन कहलाता था जिसका प्रमुख जनपति अथवा राजा होता था। इस प्रकार राजपद की उत्पत्ति हुई, लोकतन्त्र का जन्म हुआ। जनता में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने हेतु सभा व समिति का जन्म हुआ। इन दोनों संस्थाओं के निर्णय सभी को मान्य होते थे। वैदिक काल में यह ही अनुशासन का एक मात्र माध्यम था। धीरे-धीरे राजा का निर्वाचन भी होने लगा। राजा का कार्यकाल भी निर्धारित किया जाने लगा तथा वर्तमान में प्रधानमन्त्री के प्राय: हर क्षेत्र में जैसे सलाहकार होते हैं, उसी प्रकार तत्कालीन समय में शासनतन्त्र को चलाने हेतु प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे।

Scanned with CamScanner

सन्दर्भसूची

१. ऋग्वेद ९.९२.६
२. शुक्लयजुर्वेद ९.३८
३. ऋग्वेद १०.१२४.८
४. अथर्ववेद ६.८७.१-२
५. शतपथब्राह्मण ५.१.५.१४
६. ऋग्वेद ४.४२.८
७. यां च रात्रीमजायेथा यां च प्रेतासि तदुभयमन्तरेणेष्टापूर्णं ते लोकं सुकृतमग्युः प्रजां वृजीयं यदि मे द्रुह्युरिति। (ऐतरेय ब्राह्मण-३९.१)
८. अथर्ववेद ६.८७.१-२
९. त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नॄन्पाह्यसुर त्वमस्मान्।
त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रस् त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः।। (ऋग्वेद १.१७४.१)
१०. यदद्य सूर ऽउदितेऽनागामित्रो ऽअर्यमा सुवाति सविता भगः यजुर्वेद ३३.२०
११. ऋग्वेद १०.१२४.८
१२. अग्ने अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव।
प्र नो यच्छ सहस्रजिवं हि धनदा असि स्वाहा। (यजुर्वेद ९.२८)
१३. ऐतरेय ब्राह्मण ३९.१
१४. ऋग्वेद १.५३.५
१५. आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। (अथर्ववेद १९.७१.१)
१६. अथर्ववेद ३.५.२
१७. अथर्ववेद ३.४.२
१८. ऋग्वेद १०.१७३.१
१९. शुक्लयजुर्वेद १२.११
२०. तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्र सुमना वशेह।। अथर्ववेद ३.४.७
२१. ऋग्वेद ६.७५.१
२२. ऋग्वेद ६.७५.२-१०, शुक्ल यजुर्वेद २९.३९
२३. ऋग्वेद १०.६२.११
२४. तैत्तिरीय संहिता, २.५.४४
२५. मैत्रायणी संहिता, ११.६.५

❖

Scanned with CamScanner